



2026:AHC-LKO:2110-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1299/2025

मेजर आशीष चतुर्वेदी

...याचिकाकर्ताकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव, गृह मंत्रालय, नयी दिल्ली एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राजेंद्र कुमार द्विवेदी, अमित कुमार सिंह, कुंदन लाल अदलखा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

- हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
- इस जनहित याचिका द्वारा याचिकाकर्ता वर्तमान पुलिस अधिनियम, 1861 के स्थान पर एक नया पुलिस अधिनियम लागू करने की मांग कर रहा है, जो एक केंद्रीय विधि है, हालांकि समवर्ती अधिनियम होने के कारण इसमें राज्य संशोधन किए जा सकते हैं।
- इस प्रकार का कोई निर्देश जारी करना न्यायालयों का कार्य नहीं है, बल्कि इस पर विचार करना विधायिका या राज्य सरकार का कार्य है। यदि कोई हेतुक हो, तो याचिकाकर्ता संबंधित सरकार या विधायिका के सदस्यों से, जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त अधिनियमन के लिए मामला प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर वे विधि के अनुरूप विचार कर सकते हैं।
- रिट याचिका का निस्तारण उपरोक्त निबंधनों के अंतर्गत किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

12 जनवरी, 2026

प्रवीण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।